संख्या- 151 /2020/1040/चार-2020

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ:दिनांक 01 दिसम्बर, 2020**

विषय:- मा0 प्रधानमंत्री जी के दिनांक 05 अगस्त, 2020 को अयोध्या आगमन के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-658/सं0नि0-15(14)/2020-21,टी.सी.-1, दिनांक 04 अगस्त, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा0 प्रधानमंत्री जी के दिनांक 05 अगस्त, 2020 को अयोध्या आगमन के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों हेतु रू0 38.73 लाख (रूपये अड़तिस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(3) उक्त धनराशि निर्धारित कार्यो को पूर्ण करने के लिए निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी एवं कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण, बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशक एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या 151 /2020/1040/(1)/चार-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान,अयोध्या।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।